

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2021-22

विद्यार्थी का स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.

(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जायेगी)

विद्यालय का नाम						
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।						
विद्यार्थी का विवरण						
1	विद्यार्थी का नाम					
2	जन्म तिथि	DD	MM	YYYY		
3	धर्म (हिन्दू / मुस्लिम / सिख / ईसाई / पारसी/ बौद्ध / जैन / अन्य)					
4	लिंग (पुरुष/ महिला/ ट्रांसजेंडर)					
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है					
6	विद्यार्थी का S.R. नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जाये)					
7	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता					
8	गत वर्ष की कक्षा का क्रमोन्नत प्रमाण पत्र	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड/प्रतिशत	कक्षा क्रमोन्नत
9	जाति वर्ग (अजा/अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ सामान्य / अल्पसंख्यक)					
10	डे-स्कॉलर / होस्टलर					
11	विद्यार्थी का आधार नम्बर/एनरोलमेंट नम्बर					
12	जन-आधार/ एनरोलमेंट नम्बर					
13	छात्र का बैंक खाता जन-आधार कार्ड से लिंक है (हाँ / नहीं)					
14	विद्यार्थी का मोबाइल नम्बर					
15	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.					
विद्यार्थी के परिवार का विवरण						
16	पिता का नाम					
17	माता का नाम					
18	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)					
19	परिवार की वार्षिक आय					
20	स्थायी पता/जिले का नाम / राज्य का नाम					
21	राशन कार्ड नम्बर					
22	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो विवरण दे					
23	केवल अस्वच्छकार योजनान्तर्गत अग्रलिखित प्रमाण-पत्र का उल्लेख करें जैसे:- (1) हाथ से मैला ढोने का (2) टेनर और फ्लेयर्स (चर्म एवं चर्मशोध से संबंधित) (3) कचरा बीनने का, (4) जोखिम के कार्यों में लगे होने का					

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर टिक करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अकवालिमा/ कमोत्रत प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रति) ।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)	
4	विद्यार्थी की आधार कार्ड तथा जन-आधार / भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट करगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में टिक का निशान अंकित करें ।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं _____ (माता-पिता / संरक्षक) घोषणा करता हूँ / करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेजों में अंकित आधार नम्बर, जन-आधार कार्य सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है । विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा जन-आधार कार्ड से लिंक है । मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा । भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस / वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ / देती हूँ।

दिनांक ::

**हस्ताक्षर
जांचकर्ता/कक्षाध्यापक**

**माता-पिता/संरक्षक के
हस्ताक्षर**

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा _____ पुत्र/पुत्री _____ के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर जन-आधार कार्ड एवं आय घोषणा पत्र आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। छात्र/छात्रा को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।"

**संस्था प्रधान के
हस्ताक्षर मय मोहर**